UPSH010030632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1053/2026

अनूप कुमार, आयु लगभग 18 वर्ष पुत्र सुरेश, निवासी ग्राम चाँदूपुर पडरी, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।
मुकदमा अपराध संख्या–143/2026,
धारा–137(2), 87 बी0 एन 0 एस 0,
थाना–बण्डा, जिला शाहजहाँपुर।

03–06–2026

अभियुक्त/आवेदक अनूप कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–143/2026, धारा 137(2), 87 बी0 एन 0 एस 0, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ रामसेवक का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त/आवेदक का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री नन्हेंलाल द्वारा दिनांक: 04–04–2026 को थाना बण्डा, शाहजहाँपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वह परिवार सहित दिनांक: 04–04–2026 को समय करीब 02:00 बजे रात में गेहूँ काटने चला गया। उसकी पुत्री घर पर थी। गाँव का अनूप कुमार पुत्र सुरेश उसकी पुत्री को घर से भगा ले गया। उसकी पुत्री को भगाने में सुरेश पुत्र बनवारी का पूरा सहयोग है। वह जब सुबह घर पर आया तो देखा पुत्री घर पर नहीं है। जानकारी करने पर पता चला कि अनूप कुमार पुत्र सुरेश ने बहला–फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उसकी पुत्री अपने साथ में करीब 2,50,000/–रू0 का जेवर ले गयी है तथा पुत्र की शादी के खर्च के लिये 95,000/–रू0 भी ले गयी है। अत: जाँच कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से मुख्य रूप से बहस की गयी कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूँठा फँसाया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग आठ घण्टे विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 180 व 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक: 07–04–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक

इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अतः अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियुक्त/आवेदक से प्रेम प्रसंग होने सम्बन्धी कथन किये हैं। अभियुक्त/आवेदक द्वारा पीड़िता का अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ अयुक्त संभोग अथवा शादी करने के आशय से किया गया है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अत: उनके द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त/आवेदक पर वादी मुकदमा की पुत्री का विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी इच्छा के विरूद्ध उसको विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये अथवा उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिये उसे विवश करने के लिए उसे व्यपहृत किये जाने का आरोप है। पीड़िता का बयान धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पीड़िता ने अभियुक्त/आवेदक द्वारा जबरदस्ती अपहरण किये जाने सम्बन्धी किसी भी प्रकार का कोई कथन किया जाना नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में भी पीड़िता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसका घर वालों से झगड़ा हो गया था, इसलिये वह अपने घर से भाग गयी थी। उसके घर वालों व सुरेश के घर वालों से झगड़ा चल रहा है, इसलिये सुरेश का नाम मुकदमे में लिखवाया। पीड़िता के साथ किसी प्रकार की कोई जोर–जबरदस्ती किये जाने सम्बन्धी कोई तथ्य अथवा अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध होना दर्शित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक दिनांक: 07–04–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त/आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त जेल से बाहर आने पर साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा। अत: अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, आरोपों की प्रकृति, अभियुक्त की जेल में निरुद्ध रहने की अवधि तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न्यायालय की राय में अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **अनूप कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1053/2026, अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–

143/2026, धारा 137(2), 87 बी0 एन 0 एस 0, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा अंकन **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. आवेदक/अभियुक्त दौरान परीक्षण वाद आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय, धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के बयान के समय, साक्षी के उपस्थित आने तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा व न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी भी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त अग्रिम नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त होता है तो उसका बन्धपत्र स्वतः जब्त माना जायेगा।

दिनांक: 03–06–2026

(प्रेम शंकर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।